पत्रांक / 4865 /आयु0कर उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनुभाग / पत्रा0 05 / 14–15 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून :: 22 जनवरी 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 97 / 2015 / 181(120) / xxvii(8) / 08 / देहरादून / दिनांक 20 जनवरी 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तरप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची-II (ख) के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

4865
पृ0प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून / कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, / हरिद्वार / रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

–2–

9– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

13–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

19–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

20–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

22–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

24– कार्यालय अधीक्षक / विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

25– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

v.notification/14.15 | 292

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2015/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादून:: दिनांक:: 20 जनवरी 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

1– अनुसूची–I के क्रमांक 3 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।

2– अनुसूची–I के क्रमांक 66 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।

3– अनुसूची–II (ख) क्रमांक 122 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।

4– अनुसूची–II (ख) क्रमांक 129 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 97/2015/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉं वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 97 / 2015/181(120)/ XXVII(8)/08 dated 20 JANUARY 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
No. 97 / 2015/ 181(120) / XXVII(8)/ 2008
Dehradun :: Dated: 20 JANUARY 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendments in Schedule-1 and Schedule-II(B) of Vat Act :-

Amendments

1- In Schedule-I, the goods specified at serial no. 3 shall be deemed deleted.

2- In Schedule-I, the goods specified at serial no. 66 shall be deemed deleted.

3- In Schedule-II(B), the goods specified at serial no. 122 shall be deemed deleted.

4- In Schedule-II(B), the goods specified at serial no. 129 shall be deemed deleted.

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.